तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/5522/2005/झुंझुनू अर्जुनराम बनाम कजोडराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.11.2021	**एकलपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **उपस्थित** श्री सोहनपाल सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी। श्री हेमन्त दीक्षित, अभिभाषक अप्रार्थीगण के। **निर्णय** प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सीकर कैम्प झुझुंनू द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-11-2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 कजोडराम/वादीगण ने परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जिसे परीक्षण न्यायालय ने एकपक्षीय बहस सुनते हुये निर्णय व डिक्री दिनांक 26.02.04 पारित कर दिया। परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 26.02.04 से ग्रसित होकर प्रार्थीगण/अपीलांट ने न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सीकर कैम्प झुझुंनू के समक्ष अपील प्रस्तुत की। दौराने अपील रेस्पों0 संख्या 7 दुर्गा देवी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 3-क(3) सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया। जिसे अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 11.11.2005 से उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करके पूर्व पारित आदेश दिनांक 29.08.05 व 12.9.05 को निरस्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 11.11.05 से ग्रसित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/5522/2005/झुंझुनू अर्जुनराम बनाम कजोडराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस निगरानी पर सुनी गयी । विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व विधि के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 ता 7 ने वादग्रस्त भूमि पर एकतरफा गैरकानूनी निर्णय व डिक्री दिनांक 26.02.04 को प्राप्त करके इसकी आड में विवादित आराजी को खुर्दबुर्द एक खनन कर रहे है। उक्त तथ्यों के पत्रावली पर आ जाने के बाद भी अपीलीय न्यायालय ने अपने निगरानीग्रस्त आदेश दिनांक 11.11.05 के द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 29.08.05 व 12.09.05 को खारिज करने में महत्वपूर्ण गलती की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि परीक्षण न्यायालय ने विवादत भूमि बाबत एकतरफा निर्णय व डिक्री दिनांक 26.02.04 पारित की है जो धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत है। इसलिए अपीलीय न्यायालय को प्रथम अपील में वादग्रस्त भूमि पर खनन कार्य करने से पाबंद किया जाना आवश्यक था। जिससे विवादित आराजी खुर्दबुर्द नजहीं हो सके परन्तु अपीलीय न्यायालय ने प्रथमदृष्टया ही विवादित आदेश दिनांक 11.11.05 पारित कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलीय न्यायालय ने स्थगन ओदश दिनांक 29.08.05 व 12.9.05 धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत न्यायालयों को प्राप्त कानूनी शक्ति का उपयोग करते हुये न्यायाहित में पारित किये थे। जिनको आदेश 41 नियम 3क(3) सी0पी0सी0 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के द्वारा कानूनन निरस्त नहीं किया जा सकता है। अपीलीय न्यायालय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/5522/2005/झूंझुनू अर्जुनराम बनाम कजोडराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु अनदेखा करते हुये निगरानीधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि स्वंय रेस्पो0 दुर्गा देवी ने अपीलीय न्यायालय के समक्ष आदेश 39 नियम 3 व 4 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र को नोटप्रेस में खारिज करवा लिया। इस कारण आदेश दिनांक 29.08.05 व 12.9.05 कानून खारिज किये ही नहीं जा सकते थे। बहस के विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क दिया कि वादीगण/रेस्पो0 स्व0 श्री सागरमल पुत्र गणपतराम के वारिसान है। विवादित आराजी रेस्पो0 के पूर्व श्री सागरमल को सरकार द्वारा आवंटित की गयी थी। जिस पर रेस्पो0 काबिज काश्त करते आ रहे है एवं आज भी विवादित आराजी रेस्पो0 के पूर्वजों के नाम से राजस्व रकार्ड में दर्ज है। इस प्रकार विवादित आराजी पर रेस्पो0 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से जागीरदारों के समय से ही कब्जा काश्त करते आ रहे है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि जागीरदारों के समय से काश्त करने के कारण तथा बतौर एडवर्स पजेसन इस विवादित अराजी के खातदेार रेस्पो0 व उसके पूर्वज ही है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.02.04 विधिसम्मत थी। अपीलीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 11.11.05 द्वारा अपने ने पूर्व पारित आदेश दिनांक 29.8.05 व 12.09.05 को अपास्त करने में कोई विधिक भूल या त्रुटि नहीं की है। अपीलीय द्वारा पारित उक्त आदेश विधिसम्मत है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी को खारिज करने का निवेदन किया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/5522/2005/झूंझुनू अर्जुनराम बनाम कजोडराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली के समस्त विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट है कि विवादित भूमियों के सबंध में संबंधित परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के दावे में दिनांक 26.2.04 को वाद डिक्री किया गया था । इससे संबंधित अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सीकर कैम्प झुझुंनू के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। अपीलीय न्यायालय से उक्त अपील के विचाराधीन रहते हुये विवादित भूमियों को खुर्दबुर्द होने से बचाने व वाद बाहुल्यता बढने से रोकेने ओर प्रकरण में और अधिक जटिलता नहीं बढने से रोकने हेतु वाद की विषय वस्तु व विवादित भूमियों को सुरक्षित रखा जाना अपेक्षित था। इस स्थिति मेंुं अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 11.11.05 को पारित आदेश से प्रकरण में अस्पष्टता व विवाद बढने की स्थिति उत्पन्न हुई। प्रकरण में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी लंबित था जिस पर भी उभयपक्षों को सुनकर विधि अनुसार निस्तारण किया जाना अपेक्षित था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि रेस्पो0 दुर्गा देवी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष आदेश 39 नियम 3 व 4 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसे नोटप्रेस में खारिज करवाये जाने का तथ्य भी रिकार्ड पर आया है। इन सभी स्थितियों को मध्यनजर रखते हुये प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक स्वीकार योग्य पायी जाती है। परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/5522/2005/झूंझुनू अर्जुनराम बनाम कजोडराम व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील अधिकारी, सीकर कैम्प झुझुंनू द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.11.05 अपास्त किया जाता है। अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, सीकर कैम्प झुझुंनू को निर्देश दिये जाते है कि वह प्रकरण से संबंधित सभी पक्षों को सनुकर उनके यहां विचाराधीन स्थगन प्रार्थना पत्र का विधि अनुसार निस्तारण करे। तब तक उभयपक्ष राजस्व मण्डल की एकलपीठ द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 18.11.05 के अनुसार यथास्थिति बनाये रखेगें। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही हेतु अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामनिवास जाट)** **सदस्य**	